न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सेवा अपील वाद संख्या–41/2018
मुकेश प्रसाद राय –बनाम– बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
06.07.2018	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत सेवा अपीलवाद उप विकास आयुक्त, दरभंगा के पारित आदेश ज्ञापांक 205/जि0ग्रा0 दिनांक 29.01.2018 के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित अभिलेख की माँग की गयी। तद्नुसार उप विकास आयुक्त दरभंगा के पत्रांक 698/जि0ग्रा0 दिनांक 14.05.18 से अभिलेख प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि अपीलार्थी का चयन वर्ष 2014 में ग्रामीण आवास सहायक के पद पर हुआ था एवं विगत वर्षों में अपीलार्थी द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा से की गयी है। फलस्वरूप प्रश्नगत् कार्यवाही के अतिरिक्त अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत लाभार्थी द्वारा नहीं की गयी है, और न ही किसी प्रकार का अन्य विभागीय कार्यवाही किसी भी प्राधिकार में लम्बित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अधिरोपित आरोप के विरूद्ध पूछे गये कारण–पृच्छा ज्ञापांक 115/जि0ग्रा0 दिनांक 15.01.18 का स्पष्टतः अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 18.01.2018 को एक विस्तृत स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्य की अनदेखी कर प्रश्नगत् आदेश पारित की गयी है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। अधिरोपित आरोप के पृष्ठभूमि में यह तथ्य चिन्हित करने योग्य है कि बरतनिया देवी पति मदन चौपाल एंव अमरीका देवी पति राजेन्द्र झा आदि से संबंधित राशि अधिहरण करते हए संबंधित नजारत में जमा कर दिया गया, जबकि प्रश्नगत् आदेश में उक्त तथ्यों की विवेचना नहीं की गयी, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रश्नगत् आदेश अभिलेख संधारित तथ्य के विपरीत पारित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि प्रश्नगत् आदेश विभागीय निदेश पत्रांक 165209 दिनांक 21.10.2013 के अनुरूप पारित किया गया है। जबकि विभागीय निदेश पत्रांक 205985 दिनाक 21.10.2014 से अनुबंध रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी महोदय में सन्निहित किया गया है। उक्त विभागीय निदेश पत्रांक 205985 दिनाक 21.10.2014 का स्पष्टः उल्लंघन करते हुए प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया जो क्षेत्राधिकार के विपरीत है। अतः उप विकास आयुक्त, दरभंगा द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश को खारिज	

करने की कृपा की जाय तथा अपीलार्थी को पुर्नबहाल करने की कृपा की जाय।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख संधारित विभागीय निदेश के अनुरूप उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में सन्निहित तथ्यों की विवेचना किये बिना ही प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अभिलेख संधारित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 205985 दिनांक 21.10.2014 से यह स्पष्ट है कि अनुबंध रद्द करने का अधिकार उप विकास आयुक्त, दरभंगा मे सन्निहित नहीं है, जबकि प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है, जो विभागीय आदेश के विपरीत है।

अतः सम्यक रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि उप विकास आयुक्त, दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 205/जि0ग्रा0 दिनांक 29.01.2018 हस्तक्षेप योग्य है, जिसे निरस्त किया जाता है। उप विकास आयुक्त, दरभंगा को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विभागीय निदेश पत्रांक 205985 दिनांक 21.10.2014 के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

उक्त विवेचना के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति तथा मूल अभिलेख उप विकास आयुक्त, दरभंगा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

06/07/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।